

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1979/आषाढ़ 27, 1901

No. 294] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1979/ASADHA 27, 1901

इस भाग में कुछ पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वारिणज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वारिणज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

क्र. आ. 411(अ)/सं. इ(सी.)आं-1977/ए.एम.(123)---आयात एवं निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में
आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 36वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3, में क्रम सं. 59 के सामान के कालम 4 में प्रदर्शित नीति विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“उपरोक्त और उन्नी पर एक निर्यात संयोजन परिषद् के पास पंजीकृत सविदाओं के मध्ये निर्यात अनुमति है”।

[मिसिल सं. 2/23/79-ई 1]

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 411(E)/No. E(C)O, 1977/AM(123).—In exercise of the Powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty Sixth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the policy shown in Column 4 against S. No. 59 shall be substituted by the following :—

“Export allowed against the contracts registered with Wool & Woollen Export Promotion Council”

[F. No. 2/23/79/EI]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports